राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

(शोध अनुभाग)

आवश्यक

क्रमांकः आर.एस./जे.आर.एफ./एस.आर.एफ./2023/1826-1878 दिनांकः 25/3/23

1. **समस्त विभागाध्यक्ष/केन्द्र निदेशक**, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, राजकीय/निजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयपुर एवं दौसा जिला (राजस्थान विश्वविद्यालय से शोध केन्द्र के रूप मे मान्यता प्राप्त)।

विषय : सम्बद्ध महाविद्यालयों के शोधार्थियों के यूजीसी जे.आर.एफ./एस.आर.एफ. बिलों के संबंध में आवश्यक निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित कर लेख है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों, जिन्हें संबंधित विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान की गई है, में कार्यरत शोध–निर्देशकों के अधीन पंजीकृत/आँवटित पीएच.डी. शोधार्थियों के यूजीसी जे.आर.एफ./एस.आर.एफ. बिलों को यूजीसी केनरा बैंक छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड किये जाने की प्रक्रिया में संबंधित महाविद्यालयों द्वारा उक्त पोर्टल पर लिंक प्राप्त नहीं कर पाने आदि कारणों से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं।

अतः पीएच.डी. शोधार्थियों को हो रही असुविधा को देखते हुये इस संबंध में माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 24.02.2023 की अनुपालना में सूचित कर लेख है कि **विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम आदेश तक इन शोधार्थियों के जे.आर.एफ./एस.आर.एफ. बिलों को संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा पृथक से छात्र/छात्रा का तत्संबंधित छात्रवृति माह/अवधि का उपस्थिति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने एवं बिलों को विश्वविद्यालय के संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित किये जाने पर विश्वविद्यालय शोध अनुभाग द्वारा यूजीसी केनरा बैंक फैलोशिप पोर्टल पर अपलोड़ किये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।**

भवदीय,

24/3/23

उप कुलसचिव (शोध)